कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–35, अंक – 17 | सितंबर 1–15, 2021 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–6

अफ़ग़ानिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ अमरीकी साम्राज्यवाद के वहशी अपराध कभी भुलाये नहीं जा सकते!
अफ़ग़ानिस्तान के लोगों को खुद अपना भविष्य तय करने का पूरा अधिकार है!

15 अगस्त, 2021 को तालिबान की सेना ने काबुल में प्रवेश किया और राष्ट्रपति के महल पर कब्ज़ा कर लिया। राष्ट्रपति अशरफ़ गनी कुछ ही घंटों पहले, अमरीकी मदद के साथ, भाग चुके थे। अमरीकी पैसों पर पली और अमरीका से प्रशिक्षण प्राप्त, तीन लाख सिपाहियों वाली अफगानी सेना बिना लड़े ही अस्त–व्यस्त हो गयी। इन घटनाओं के साथ, काबुल में अमरीका द्वारा समर्थित कठपुतली सरकार का अंत हुआ। इसके साथ–साथ, अफ़ग़ानिस्तान में लगभग 20 साल लम्बा अमरीकी दख़ल भी ख़त्म हुआ।

अफ़ग़ानिस्तान के लोग बहादुर और स्वाभिमानी लोग हैं, जिन्होंने अपनी आज़ादी को हमेशा ही बहुत क़ीमती माना है। उन्होंने किसी भी क़ुरबानी से डरे बिना, हर विदेशी साम्राज्यवादी ताक़त जो उन पर कब्ज़ा करने आई, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। बर्तानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों ने यह झूठा प्रचार किया है कि अफ़ग़ानी लोग बर्बर हैं, पिछड़ी सभ्यता वाले हैं। इस जलील प्रचार का असली मक़सद है अफ़ग़ानी लोगों की आज़ादी और संप्रभुता के हनन को जायज़ ठहराना। अमरीकी कब्ज़ाकारी सेना का अफ़ग़ानिस्तान से बाहर निकलना बहादुर अफ़ग़ानी लोगों की जीत है। इसके साथ, अफ़ग़ानिस्तान के लोगों के लिए, विदेशी साम्राज्यवादी हुक्मशाही से आज़ाद होकर, खुद अपना भविष्य निर्धारित करने का रास्ता खुल जाता है।

20 साल पहले, 7 अक्तूबर, 2001 को अमरीकी साम्राज्यवादियों और ब्रिटेन ने अफ़ग़ानिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ एक ऐसा जंग शुरू किया था, जिसे इतिहास के सबसे बेरहम जंगों में गिना जाता है। 11 सितम्बर, 2001 को न्यू यॉर्क में हुए आतंकवादी हमलों के बाद वह जंग शुरू किया गया था। 20 सितम्बर, 2001 को अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ऐलान किया था कि अल कायदा नामक एक आतंकवादी गिरोह 11 सितम्बर, 2001 को न्यू यॉर्क में हुए आतंकवादी हमलों के लिए ज़िम्मेदार था और उस गिरोह का नेता, ओसामा बिन लादेन, अफ़ग़ानिस्तान में सक्रिय था।

बर्तानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों ने यह झूठा प्रचार किया है कि अफ़ग़ानी लोग बर्बर हैं, पिछड़ी सभ्यता वाले हैं। इस जलील प्रचार का असली मक़सद है अफ़ग़ानी लोगों की आज़ादी और संप्रभुता के हनन को जायज़ ठहराना।

अमरीका ने कोई सबूत पेश किये बिना ही दावा कर दिया कि न्यू यॉर्क में हुए आतंकवादी हमलों का सरगना अफ़ग़ानिस्तान से और अफ़ग़ानिस्तान की सरकार के पूरे समर्थन के साथ अपना काम कर रहा था। यह दावा करके अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अफ़ग़ानिस्तान पर अपने हमले और कब्ज़े को जायज़ ठहराया। अमरीका ने बड़े घमंड के साथ यह ऐलान कर दिया कि उसे किसी भी देश पर यह आरोप लगाकर, कि वहां आतंकवादियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उस देश की संप्रभुता का हनन करने का अधिकार है। अमरीका ने उन सभी देशों को धमकाया, जिन्होंने अमरीका के "आतंकवाद पर जंग" का समर्थन नहीं किया। राष्ट्रपति बुश

शेष पृष्ठ 2 पर

15 अगस्त के अवसर पर :

किसानों ने देशभर में रैलियां आयोजित कीं

उपनिवेशवादी राज से आजादी की 74वीं सालगिरह, 15 अगस्त के दिन किसानों ने देशभर में रैलियां आयोजित कीं। इन रैलियों के जरिये उन्होंने तीन किसान–विरोधी कानूनों को रद्द कराने और सभी कृषि उत्पादों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिये संघर्ष को और तेज करने का संकल्प दर्शाया। इन कार्यक्रमों में लाखों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने 15 अगस्त को मेगा "तिरंगा यात्रा" का आयोजन किया। अनेक जिलों में किसानों ने दर्जनों मोटर साइकलों और ट्रेक्टरों की रैलियां निकाली। उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने ट्रेक्टरों की रैलियां निकाली।

इस अवसर पर पंजाब के शहरों व गांवों में सैकड़ों सभाएं और रैलियां आयोजित की गयीं।

भारतीय किसान यूनियन (एकता) सिद्धूपुर के अध्यक्ष श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खटकर कलां में एक विशाल किसान रैली का संबोधन किया। शहीद–ए–आजम भगत सिंह को श्रद्धांजली देते हुए,

भारतीय किसान संघ (एकता उग्राहां) ने किसान-मज़दूर मुक्ति-संघर्ष दिवस के रूप में मनाया

उन्होंने समझाया कि सरहद पर किसानों का संघर्ष सिर्फ तीन किसान–विरोधी कानूनों को रद्द करने तक सीमित नहीं है। साथ ही, उस बर्बादी के रास्ते के ख़िलाफ़ भी संघर्ष है जो लोगों को गुलाम बनायेगा। उन्होंने ध्यान दिलाया कि लोगों के आर्थिक रीढ़ की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की बहाली की सुनिश्चिति और सड़ी हुई साम्राज्यवादी संस्कृति से अपनी सांस्कृतिक विरासत का बचाव बहुत ही अहमियत रखते हैं।

किसान मज़दूर संघर्ष समिति ने अटारी–वाघा सीमा से ब्यास तक एक मोटर साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें हज़ारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने ज़िन्दादिली से गीत गाए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस अवसर पर स्वर्ण द्वार पर, वर्तमान भ्रष्ट सरकार का पुतला दहन किया गया। जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और फाजिल्का सहित, किसान मज़दूर संघर्ष समिति के जिला मुख्यालयों पर भी विशाल रैलियां आयोजित की गईं।

किसान मज़दूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि "ग़दरी बाबाओं और अन्य शहीदों ने एक आज़ाद हिन्दोस्तान का सपना देखा था, लेकिन वह सपना साकार नहीं हुआ। आज भी अंग्रेजों के काले कानून देश की जनता पर थोपे जाते हैं। देश के मज़दूर वर्ग की लूट आज भी जारी है। हजारों मोटर

शेष पृष्ठ 5 पर

अंदर पढ़ें

- पंजाब में गन्ना किसानों का आंदोलन 3
- लंदन में किसान आन्दोलन के समर्थन में लड़ाकू रैली 3
- बिजिली संशोधन विधेयक 2021– इंजी शैलेंद्र दूबे और श्री अभिमन्यु धनखड़ से साक्षात्कार 4

अफ़ग़ानिस्तान ...

पृष्ठ 1 का शेष

ने ऐलान किया था कि "हर इलाके में हरेक राष्ट्र को यह फ़ैसला करना होगा : आप या तो हमारे साथ हैं या फिर आप आतंकवादियों के साथ हैं।" अमरीकी साम्राज्यवादियों ने ऐलान किया कि यह सारी दुनिया में आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक "अनंत युद्ध" की शुरुआत है।

11 सितम्बर, 2001 को न्यू यॉर्क में हुए आतंकवादी हमलों के बीस साल बाद, अमरीका ने अभी भी कोई सबूत नहीं पेश किया है कि उन हमलों के पीछे अफ़ग़ानिस्तान की तत्कालीन सरकार का कोई हाथ था। बल्कि, गतिविधियों के आधार पर काफी ऐसे सबूत बरामद हुए हैं जो 11 सितम्बर, 2001 को न्यू यॉर्क में हुए आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में अमरीकी राज्य की भूमिका की ओर इशारा करते हैं। इस बात का स्पष्ट सबूत है कि अमरीका ने 11 सितम्बर, 2001 से पहले ही अफ़ग़ानिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रखी थी और उसे सिर्फ सही मौके का इंतज़ार था।

अमरीकी राज्य ने 11 सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल करके, एशिया और अफ्रीका के कई इस्लामी देशों पर कब्ज़ाकारी जंग छेड़े और अमरीका में उन जंगों के समर्थन में जनमत पैदा किया। अमरीकी राज्य ने 11 सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल करके, अमरीका के अन्दर और पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया, यानी मुसलमानों से नफ़रत, को फैलाया। अमरीका ने तथाकथित "इस्लामी आतंकवाद पर जंग" को अगुवाई देने का दावा किया। अरब और मुसलमान लोगों को पिछड़े, महिला–विरोधी, असभ्य रूढ़िवादी और आतंकवादी जैसे पेश करके, उन्हें बदनाम करने के इरादे से सुनियोजित प्रचार अभियान चलाया गया। इस झूठे प्रचार को बल देने के लिए, अमरीकी खुफ़िया एजेंसियां समय–समय पर आतंकवादी हमले आयोजित करती थीं और जिनके लिए "इस्लामियों" को दोषी ठहराती थीं। दुनियाभर में मुसलमानों को आतंकित किया गया और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया।

"आतंकवाद पर जंग" का बहाना देकर, अनेक देशों पर सैनिक हमले और उन देशों के सम्पूर्ण विनाश को जायज़ ठहराया गया है। अफ़ग़ानिस्तान के बाद, अमरीका और उसके मित्रों ने इराक और लीबिया पर तबाहकारी हमले किये और इस समय वे सीरिया तथा पश्चिम एशिया व उत्तरी अफ्रीका के कुछ देशों में ऐसा ही करने के प्रयास कर रहे हैं।

11 सितम्बर, 2001 को न्यू यॉर्क में हुए आतंकवादी हमलों को, उसके बाद अफ़ग़ानिस्तान पर हमले और कब्ज़े को और दुनियाभर में अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा चलाये जा रहे "आतंकवाद पर जंग" को शीत युद्ध के अंत में अमरीकी साम्राज्यवाद की रणनीति के सन्दर्भ में समझना होगा। उस रणनीति का लक्ष्य सारी दुनिया पर अमरीका का निर्विरोध आधिपत्य जमाना था और आज भी उसका यही लक्ष्य है।

सोवियत संघ के विघटन का फ़ायदा उठाकर, अमरीकी साम्राज्यवादियों ने पूर्वी यूरोप के कई भूतपूर्व समाजवादी देशों और सोवियत संघ के कई यूरोपीय गणराज्यों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। युगोस्लाव संघ को टुकड़े–टुकड़े कर दिया गया। अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा 1990 में अपनाये गए, 'नए यूरोप के लिए पेरिस चार्टर' के ऐलाननामे के अनुसार, यूरोप के सभी देशों पर "मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था" और "बहुपार्टीवादी लोकतंत्र" के नुस्खों को बलपूर्वक लागू किया।

अमरीकी साम्राज्यवादियों ने एशिया पर कब्ज़ा करने के इरादे से, और आगे चलकर पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करने के इरादे से, "आतंकवाद पर जंग" को छेड़ा। अरब और मुसलमान लोगों को निशाना बनाया गया क्योंकि उनका अपना प्राचीन इतिहास, संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, और वे यूरोपीय व अमरीकी नुस्खों को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका में तेल व प्राकृतिक गैस के प्रचूर भंडार हैं। इसलिए अमरीका उस पूरे इलाके पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था।

अमरीकी साम्राज्यवादियों ने एशिया पर कब्ज़ा करने के इरादे से, और आगे चलकर पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करने के इरादे से, "आतंकवाद पर जंग" को छेड़ा। अरब और मुसलमान लोगों को निशाना बनाया गया क्योंकि उनका अपना प्राचीन इतिहास, संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, और वे यूरोपीय व अमरीकी नुस्खों को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका में तेल व प्राकृतिक गैस के प्रचूर भंडार हैं। इसलिए अमरीका उस पूरे इलाके पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था।

"इस्लामी आतंकवाद पर जंग" में अमरीका ने अफ़ग़ानिस्तान को अपना पहला निशाना इसलिए बनाया क्योंकि उस देश की सरकार सैनिक तौर से कमज़ोर थी और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अकेली थी। इसके अलावा, अफ़ग़ानिस्तान बहुत ही रणनैतिक महत्व वाली जगह पर स्थित है। तेल और गैस संपन्न ईरान और भूतपूर्व सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों, पाकिस्तान और चीन के साथ उसकी सरहदें हैं। अफ़ग़ानिस्तान पर अपना नियंत्रण जमाकर, अमरीका उन सभी देशों में दखलंदाज़ी करने और उनके अन्दर अस्थायी हालतें पैदा करने में सक्षम हो जाता।

80 का दशक वह समय था जब अफ़ग़ानिस्तान अमरीका और सोवियत संघ की आपसी लड़ाई की रणभूमि बन गया। दिसंबर 1979 में सोवियत सेना ने, अफ़ग़ानिस्तान में सैनिक तख़्तापलट के ज़रिये सत्ता पर आई सोवियत–परस्त सरकार की रक्षा करने के लिए, वहां प्रवेश किया। अफ़ग़ानिस्तान के लोगों ने अपनी संप्रभुता के इस हनन का पुरजोर विरोध किया और कब्ज़ाकारी सेनाओं के ख़िलाफ़ बग़ावत की।

अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अपने इरादों को पूरा करने के लिए, अफ़ग़ानिस्तान के लोगों के मुक्ति संघर्ष के साथ दांवपेच किया। उन्होंने सोवियत सेनाओं का मुक़ाबला करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान में तरह–तरह के गिरोहों, अलग–अलग इलाकों और समुदायों के सरदारों को धन, हथियार और प्रशिक्षण दिए। 1989 में जब सोवियत सेना अफ़ग़ानिस्तान से निकल गयी, तब उन अलग–अलग हथियारबंद गिरोहों के बीच में गृह युद्ध शुरू हो गया। वह गृह युद्ध 6 साल तक चला, जिसके बाद 1996 में तालिबान ने काबुल में सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया। परन्तु उसके बाद भी, अफ़ग़ानिस्तान के अलग–अलग इलाके उन अलग–अलग प्रतिस्पर्धी गिरोहों के नियंत्रण में रहे।

अमरीका ने इस दौर में, सोवियत कब्ज़े के ख़िलाफ़ जिहाद लड़ने की आड़ में, कई आतंकवादी गिरोहों को खड़ा किया। अमरीकी ख़ुफ़िया एजेंसी, सी.आई.ए. ने उन गिरोहों को प्रशिक्षण दिया। जब सोवियत सेना अफ़ग़ानिस्तान से निकल गयी, तब अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अपने रणनैतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, उन्हीं सी. आई.ए. प्रशिक्षित आतंकवादी गिरोहों को यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों में अस्थायी हालतें पैदा करने के लिए तैनात किया। युगोस्लाविया, मध्य एशिया के गणराज्यों, रूसी संघ, चीन, सीरिया और उत्तरी अफ्रीका के विभिन्न देशों में ऐसा ही किया गया।

बीते 20 वर्षों में अमरीका ने "आतंकवाद पर जंग" के नाम से, अफ़ग़ानिस्तान के लोगों के ऊपर ऐसे–ऐसे जुर्म किये हैं जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। गांव–गांव पर बेरहमी से बम बरसाए गए हैं, जिनसे लाखों–लाखों अफगानी लोग मौत के घाट उतारे गए हैं। अमरीकी कब्ज़ाकारी सेनाओं ने अफ़ग़ानी लोगों को नस्ल, जाति–जनजाति आदि के आधार पर बांट कर आपस में भिड़ाने की कोशिश की है। परन्तु अफ़ग़ानिस्तान के लोगों ने अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा अपने देश पर कब्ज़े को कभी स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने विदेशी ताक़तों से अपनी आज़ादी के लिए दिलेरी से संघर्ष किया है।

अमरीकी साम्राज्यवादी अपने उसी रणनैतिक लक्ष्य – एशिया पर कब्ज़ा और फिर पूरी दुनिया पर कब्ज़ा – को हासिल करने के लिए अमरीकी लोगों और सारी दुनिया के लोगों को लामबंध करने के इरादे से, नए–नए नारों की रचना कर रहे हैं। अमरीकी साम्राज्यवादियों के अफ़ग़ानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस लाने के फ़ैसले को इसी सन्दर्भ में समझना होगा।

20 साल पहले अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अपने रणनैतिक इरादों को पूरा करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान पर हमला और कब्ज़ा किया था। अमरीकी साम्राज्यवादियों ने अमरीकी लोगों और दुनिया के सभी पूंजीवादी देशों के लोगों पर "आतंकवाद पर जंग" के अपने एजेंडे को पूरी क़ामयाबी के साथ थोपा और दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाने के प्रयासों में काफी क़ामयाबी हासिल की। परन्तु अब, 20 साल बाद, यह अमरीका के इरादों को पूरा करने में इतना सफल नहीं रह गया है।

अमरीकी साम्राज्यवाद ने दुनिया में जगह–जगह पर जो बर्बर युद्ध शुरू किये हैं और जो अब भी जारी हैं, उन्हें जायज़ ठहराना अब उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुश्किल हो रहा है। दुनिया के अधिक से अधिक देश, उनकी सरकारें और उनके लोग अब यह मानने को तैयार नहीं हैं कि अमरीका अपनी मनमर्जी से किसी भी देश को आतंकवादी बताकर, खुद को वहां सैनिक हस्तक्षेप करने का अधिकार दे सकता है।

दूसरे देशों और लोगों के ख़िलाफ़ अमरीका के युद्धों का अमरीका के अन्दर, अमरीकी लोग बढ़–चढ़कर विरोध कर रहे हैं। बढ़ती संख्या में अमरीकी लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि वे किसके हित के लिए दूर–दूर देशों में जाकर अपना खून बहाते हैं।

अमरीकी राज्य अब अफ़ग़ानिस्तान पर अपने कब्ज़े को जारी रखना जायज़ नहीं ठहरा पा रहा है।

इन हालतों में, अमरीकी साम्राज्यवादी अपने उसी रणनैतिक लक्ष्य – एशिया पर कब्ज़ा और फिर पूरी दुनिया पर कब्ज़ा – को हासिल करने के लिए अमरीकी लोगों और सारी दुनिया के लोगों को लामबंध करने के इरादे से, नए–नए नारों की रचना कर रहे हैं। अमरीकी साम्राज्यवादियों के अफ़ग़ानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस लाने के फ़ैसले को इसी सन्दर्भ में समझना होगा।

अमरीका की अगुवाई में दुनिया के साम्राज्यवादियों ने अफ़ग़ानिस्तान के लोगों पर जो जघन्य अपराध किये हैं, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है।

अफ़ग़ानिस्तान के लोगों को यह पूरा अधिकार है कि वे हर तरह की विदेशी साम्राज्यवादी हुक्मशाही से मुक्त होकर, अपनी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था और अपना भविष्य खुद निर्धारित करें। दुनिया के साम्राज्यवादियों को अपनी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को अफ़ग़ानिस्तान के लोगों पर थोपने का कोई अधिकार नहीं है।

अफ़ग़ानिस्तान के लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनैतियां हैं। उन्हें 40 वर्षों के अनवरत युद्ध के परिणामों पर काबू पाना होगा, अमरीकी साम्राज्यवादियों की साजिशों के चलते उनके समाज के अन्दर पैदा किये गए बंटवारों को दूर करना होगा और अपने तबाह हुए देश का पुनः निर्माण करना होगा।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी अपने इंसाफ–पसंद देशवासियों से अपील करती है कि अफ़ग़ानिस्तान के लोगों के अपनी संप्रभुता की हिफ़ाज़त करने के संघर्ष का पूरा–पूरा समर्थन करें और साम्राज्यवादियों के झूठे प्रचार, कि अफ़ग़ानिस्तान के लोग खुद अपना शासन करने के क़ाबिल नहीं हैं, को ख़ारिज़ करें।

http://hindi.cgpi.org/21266

पाठकों से अनुरोध

पाठक हमारे बैंक खाते में आनलाईन पैसे भेज रहे हैं। जो पाठक पैसे भेजते हैं, वे अपने नाम और पते की पूरी जानकारी दें। हमारा वाट्सएप्प नंबर-9868811998 और मो. नं. 9810167911 है।

पंजाब में गन्ना किसानों ने बकाया भुगतान और अपनी उपज के अधिक मूल्य के लिए आंदोलन किया

गन्ना मिलों के बढ़ते बकाये और कम (एस.ए.पी.) के ख़िलाफ़ पंजाब के दोआबा क्षेत्र के हजारों किसान 20 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं। एस.ए.पी. वह क़ीमत है जो मिल मालिक गन्ना किसान को उसकी उपज के लिए देता है।

पंजाब के दोआबा क्षेत्र के गन्ना किसानों ने समय पर बकाये के भुगतान की मांग करते हुए हाईवे को रोक दिया।

पंजाब के बटाला, गुरदासपुर, दीनानगर, पठानकोट, भोआ, होशियारपुर, भोगपुर और दसूया में गन्ने की खेती होती है। जालंधर में शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में दोआबा और माझा क्षेत्र के गन्ना किसान सबसे आगे हैं। जालंधर–फगवाड़ा हाइवे की धनोवली रोड पर आंदोलन के पहले दिन 20,000 से अधिक किसानों ने धरना दिया और जुलूस निकाला। उन्होंने हाईवे के साथ–साथ रेलवे ट्रैक को भी बंद कर दिया।

मकसूदन बाईपास फ्लाईओवर से लेकर पी.ए.पी. चौक, जो जालंधर, अमृतसर और लुधियाना को जोड़ता है, उस पर यातायात ठप हो गया। जालंधर–फगवाड़ा हाईवे पर सैकड़ों ट्रक खड़े हो गये। पंजाब परिवहन निगम और पी.आर.टी.सी. की बसों को लिंक रोड का इस्तेमाल करना पड़ा है। धनोवली में रेल पटरियों पर धरने के कारण भारतीय रेल को 126 ट्रेनों को रद्द करने या दूसरे मार्ग पर भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

आंदोलनरत गन्ना किसान मांग कर रहे हैं कि गन्ने का मौजूदा एस.ए.पी. 310 रुपये से बढ़ाकर, कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए।

दोआबा किसान यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह के मुताबिक राज्य सरकार ने पिछले छह साल से गन्ने के लिए एस.ए.पी. नहीं बढ़ाई है। खादों, मज़दूरी, डीजल की क़ीमतों में वृद्धि हुई है। किसानों ने हर साल सरकार को मांग पत्र दिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि, "2017 में जब सरकार आई थी तो क़ीमत में सिर्फ 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी जबकि 20 का वादा किया था। इससे पहले अकालियों ने क़ीमत नहीं बढ़ाई थी, उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी आई तब उन्होंने हर साल 10 रुपये से क़ीमत को बढ़ाने का वादा किया था। अगर वे हर साल इतना भी बढ़ा देते, तो हमें शिकायत नहीं होती। लेकिन अब ज़रूरत है कि गन्ने का एस.ए.पी. कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल हो।" उन्होंने बताया कि "पिछले पांच वर्षों से किसानों का सरकार पर 2,000 करोड़ रुपये बकाया है और चीनी मिलों का 56 करोड़ रुपये का भी बकाया है"।

अन्य आंदोलनकारी किसानों ने पंजाब राज्य सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाया कि वह एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान–विरोधी कानूनों का विरोध करने वाले किसानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करती है, दूसरी तरफ वही सरकार गन्ना किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं करती है। एस.ए.पी. को बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए किसानों ने बताया कि गन्ने की खेती पर किसान कम से कम 1 लाख रुपये प्रति एकड़ खर्च करते हैं।

दोआबा की सभी किसान यूनियनों – दोआबा किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, दोआबा किसान संघर्ष समिति और माझा किसान संघर्ष समिति (एम.के.एस.सी.), विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजक हैं। माझा किसान संघर्ष समिति (एम.के.एस.सी.) के 15,000 सदस्य विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। गुरदासपुर के किसान भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) के तहत 32 किसान यूनियनों ने गन्ना किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है।

इस विरोध प्रदर्शन के लिए जालंधर आये एस.के.एम. नेता बलजीत सिंह ने कहा कि "आपका मोर्चा गन्ना खेती की चिंताओं को उठा रहा है और एस.ए.पी. में उचित बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। लगातार आई सरकारों ने एस.ए.पी. को हर साल 15–20 रुपये बढ़ाने का वादा किया था। लेकिन वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कल गुरदासपुर में हमारा काफिला 2–3 किलोमीटर लंबा था। किसान जानते हैं कि अगर वे एक हो गए तो उन्हें वादा किए गए दाम मिलेंगे।"

शेष पृष्ठ 6 पर

लंदन में किसान आन्दोलन के समर्थन में जोशीली रैली का आयोजन किया गया!

15 अगस्त को इंग्लैंड के लंदन में हजारों की संख्या से भी ज्यादा लोगों ने लड़ाकू रैली में हिस्सा लिया। हिन्दोस्तान में किसान आंदोलन के लिए इंग्लैंड में हिन्दोस्तानी मज़दूरों और छात्रों के समर्थन को व्यक्त करने के लिए इस विरोध रैली का आयोजन किया गया था। विरोध रैली में भाग लेने वाले कई संगठनों में इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (जी.बी.) भी शामिल था। प्रदर्शनकारी, लंदन में हिन्दोस्तानी उच्च आयोग के बाहर इकट्ठा हुए। भागीदारी इतनी ज्यादा थी कि आस–पास की सभी सड़कें भी प्रदर्शनकारियों से भरी हुई थीं।

प्रदर्शनकारियों ने तीन किसान–विरोधी कानूनों को रद्द न करने के लिए हिन्दोस्तानी सरकार की निंदा की। विभिन्न संगठनों के वक्ताओं ने बताया कि हिन्दोस्तान की आज़ादी केवल एक छोटे से तबके को लाभ पहुंचा रही है जबकि बहुसंख्य आबादी घोर ग़रीबी की मार झेल रही है। हिन्दोस्तानी सरकार टाटा, बिरला, अडानी जैसे अन्य बड़े पूंजीपतियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने मांग की कि तीन किसान–विरोधी काले कानूनों के साथ–साथ चार मज़दूर विरोधी कानूनों को रद्द किया जाए। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान हिन्दोस्तानी सरकार की कार्यवाही स्पष्ट रूप से यह दिखाती है कि हिन्दोस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है और वहां लोगों की मांगों को अनदेखा किया जाता है।

लंदन में हिन्दोस्तानी उच्च आयोग कि बाहर हुए प्रदर्शन में इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (जी.बी.) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे ब्रिटेन में विभिन्न शाखाओं से आये कार्यकर्ताओं ने जोशिले नारे लगाए और हिन्दोस्तानी सरकार की निंदा करते हुए भाषण दिए। उन्होंने बताया कि हिन्दोस्तानी राज्य लगभग 150 इजारेदार पूंजवादी घरानों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। किसान–विरोधी और मज़दूर–विरोधी कानूनों का एकमात्र उद्देश्य हिन्दोस्तान के मज़दूरों और किसानों की क़ीमत पर हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों को समृद्ध बनाना है। हिन्दोस्तान की आज़ादी ब्रिटिश उपनिवेशवाद से उनके सहयोगियों को सत्ता का हस्तांतरण मात्र थी जो अब हिन्दोस्तान के नए स्वामी हैं। इन काले कानूनों का उद्देश्य हमारे देश के श्रम और संसाधनों का शोषण और तेज़ करना है।

वक्ताओं ने इस बात पर बहुत गर्व व्यक्त किया कि किसान आंदोलन ने पूरे हिन्दोस्तान में किसानों, मेहनतकश लोगों, युवाओं और महिलाओं को एकजुट किया है। लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट हुए हैं। पिछले नौ महीने के दौरान बहुत लोगों ने बलिदान दिए और चल रहे संघर्ष के दौरान कई लोगों की मृत्यु हुई है। किसान आंदोलन ने पूरे विश्व में लोगों को प्रभावित किया है और इस भ्रम का पर्दाफाश किया है कि हिन्दोस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हिन्दोस्तान में लड़ रहे किसानों ने पूरी दुनिया में न्याय पसंद लोगों का समर्थन हासिल किया है। हिन्दोस्तानी सरकार इस संघर्ष से हिल गई है और तीन किसान–विरोधी कानूनों और मज़दूर–विरोधी कानूनों को रद्द करने के लिए लड़ रहे बहादुर जनसमूह को तोड़ने और उन्हें बाटंने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

आई.डब्ल्यू.ए. (जी.बी.) के कार्यकर्ताओं ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि तथाकथित मुख्य विचारधारा की पार्टियां जैसे कि भाजपा, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और इसी तरह की अन्य पार्टियां हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा करना जारी रखेंगी और बहुसंख्य जनता किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती है। वे छल–कपट और लुभावने नारों के ज़रिए आते हैं, लेकिन वह हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा मज़दूरों के शोषण और किसानों की लूट को तेज़ करके खुद को समृद्ध बनाने के एजेंडे को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वक्ताओं ने मज़दूरों, किसानों और अन्य मेहनतकश तबकों के बीच एकता से प्रेरणा ली।

किसान मज़दूर एकता ज़िंदाबाद के नारे पूरे प्रदर्शन में गूंजते रहे। यह शोषक हिन्दोस्तानी राज्य के ख़िलाफ़ अपने आम संघर्षों में किसानों और मज़दूर वर्ग की बढ़ती एकता और एकजुटता का प्रतीक था।

शहीद भगत सिंह, शहीद ऊधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराभा जैसे हमारे शहीदों को याद करने वाले नारे बार–बार उन्हें याद करते हुए लगाए जा रहे थे कि हमारे लोगों कि लिए वास्तविक आज़ादी का सपना पूरा नहीं हुआ है। इंक़लाब ज़िंदाबाद के नारे हर ओर सुने जा सकते थे, यह संदेश देते हुए कि हमारे प्यारे देशभक्तों के लक्ष्य को क़ायम रखने के लिए क्रांति ही एकमात्र समाधान है। केवल व्यवस्था को बदलकर ही मज़दूरों, किसानों और अन्य मेहनतकशों तबकों का शासन बहुसंख्यकों के लिए एक सुरक्षित आजीविका और एक उज्ज्वल भविष्य मुहैया करा सकता है। इंक़लाब ही समाधान है!

(इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (जी.बी.) और ग़दर इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों से प्राप्त रिपोर्ट)

http://hindi.cgpi.org/21266

Internet Edition

Mazdoor Ekta Lehar Mazdoor
Hindi: http://www.hindi.cgpi.org
English: http://www.cgpi.org
Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org
Thozhilalar Ottrumai Kural
Tamil: http://www.tamil.cgpi.org

बिजली संशोधन विधेयक 2021 :

बिजली क्षेत्र के मज़दूर निजीकरण के विरोध में संघर्ष की राह पर

हाल ही में मज़दूर एकता लहर के संवाददाता ने संसद पर धरना दे रहे बिजली क्षेत्र की यूनियनों व फेडरेशनों के नेताओं से उनके मुद्दों और मांगों के बारे में बात की। हम यहां दो साक्षात्कारों के मुख्य बिन्दू पेश करे हैं – अभिमन्यु धनखड़, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इंजीनियर शैलेंद्र दूबे, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं।

इंजीनियर शैलेंद्र दूबे

मज़दूर एकता लहर (**मएल**) : केन्द्र सरकार आज संसद सत्र में बिजली संसोधन विधेयक 2021 को पारित करने की कोशिश कर रही है। आप इसका विरोध क्यों कर रहे है?

इंजीनियर शैलेंद्र दूबे : देखिए बिलजी संसोधन विधेयक 2021 केवल बड़े निजी घरानों के मुनाफे के लिए है। इससे किसानों को, ग़रीब उपभोक्ताओं को, घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे बड़ी चोट पड़ने वाली है। यह विद्युत वितरण के संपूर्ण निजीकरण का दस्तावेज़ है। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि विद्युत वितरण की लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी। अर्थात किसी को भी एक क्षेत्र में बिजली वितरण करने की अनुमति मिल जायेगी। और ये जो बिजली के खम्बे और तार हैं, यानी सरकारी बिजली का नेटवर्क है, इसी नेटवर्क का फ़ायदा उठाकर निजी कंपनियां बिजली की आपूर्ति करेंगी। उनको एक भी पैसे का निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। हजारों करोड़ों रुपये का निवेश सरकार का है, उस निवेश का इस्तेमाल करके निजी कंपनियां पैसा कमाऐंगी।

सबसे ख़तरनाक पहलू यह है कि एक तरफ सरकारी कंपनी किसानों को, ग़रीबों को यानी सबको बिजली देती है और देने के लिये बाध्य भी है, दूसरी तरफ, निजी कंपनियों के लिए इस विधेयक में व्यवस्था है कि वे अपनी मर्जी के अनुसार बिजली देंगी। तो निजी कंपनियां सिर्फ मुनाफ़े वाले उपभोक्ताओं को बिजली देंगी। यानी संस्थानिक, औद्योगिक क्षेत्रों में देंगी, तो मुनाफ़े वाले क्षेत्र हमारे हाथों से निकल जायेंगे। इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां और कंगाल

हो जायेंगी। आम आदमी बिजली की पहुंच से दूर हो जायेगा।

अगर किसी किसान के पास 5 हॉर्स पावर का पम्प है और वह 6 घंटे भी उसे चलाता है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये का विधेयक देना पड़ेगा। यह कानून केवल कारपोरेट घरानों के हित में है। इसलिए इसके विरोध में चार दिन जंतर–मंतर पर धरना चलेगा और 10 अगस्त को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान है।

मएल : जिस प्रकार आपने बताया कि यह विधेयक निजी कंपनियों को मुनाफ़ा बनाने की पूरी छूट देने के लिये है। इस विधेयक में ऐसे कौन से प्रवधान हैं जिनसे निजी बिजली कंपनियों को साहूलियतें या फ़ायदा मिलेगा?

दूबे : मैं फिर से बता रहा हूं। पहला फ़ायदा तो यह है जो बिजली नेटवर्क है, जैसे बिजली के सबस्टेशन है, बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, बिजली के स्विचगियर हैं, बिजली के तारें हैं, बिजली के खम्बे हैं, ये सब सरकारी कंपनी के रहेंगे। इन्हीं को इस्तेमाल करके निजी कंपनियां बिजली की आपूर्ति करेंगी। तो उन्हें इस नेटवर्क पर कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। नेटवर्क पर हजारों करोड़ रुपयों की रकम सरकारी कंपनी खर्च करती है। पहला फ़ायदा तो यही होगा कि मुफ्त में नेटवर्क मिलेगा। दूसरा यह है कि जहां सरकारी कंपनी को बाध्यता है बिजली देने की, यानी जो कनेक्शन मांगेगा उसे बिजली का कनेक्शन हम देते हैं। चाहे उसका वह उपयोग कम करे या ज्यादा करे। निजी कंपनियों को यह छूट दी गई है कि वे चाहें तो किसी को कनेक्शन दें या न दें। इसका मतलब यह है कि निजी कंपनियां सिर्फ मुनाफ़े वाले क्षेत्रों में बिजली देंगी। संस्थानिक, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को देंगी। तो वे सिर्फ मुनाफ़े कमायेंगी। यानी जो सरकारी नेटवर्क है का प्रयोग करते हुए मुनाफ़ा कमायेंगी बिना एक पैसा खर्च किए, यह बहुत ही घातक है।

मएल : सरकार यह दावा कर रही है कि बिजली संसोधन विधेयक, 2021 के कानून बनने से यह बिजली क्षेत्र में बहुत ही सुधार करने वाला कदम होगा। लेकिन बिजली क्षेत्र के कर्मचारी इस सुधार का विरोध कर रहे हैं। इस प्रचार का खंडन आप कैसे करेंगे?

दूबे : सरकार तो इस विषय पर बहस करने को तैयार नहीं है। सरकार ने आज तक न तो बिजली उपभोक्ताओं को और न ही बिजली कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। सरकार तो सिर्फ कारपोरेट घरानों से ही बात कर रही है। उनके जो भी तर्क हैं कि बहुत अच्छा होने जा रहा है। कारपोरेट घरानों के लिए अच्छा होने जा रहा है। हम तो सरकार को चुनौती देते हैं कि सरकार हमसे बहस करे। इससे बिजली की दरें बढ़ेगी। इस विधेयक के आने के बाद बिजली की दर कम से कम 10 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी। मुबंई में निजीकरण हुआ और वहां 12 से 14 रुपये घरेलू उपभोक्ताओं के लिये बिजली की दर है। सरकार बहस से भाग रही है। मेरा ये कहना है कि सरकार जल्दबाजी में इस विधेयक को पारित न करे। इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजे। और स्टैंडिंग कमेटी के सामने उपभोक्ताओं को और बिजली कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाये।

मएल – हमारे अख़बार के माध्यम से देश के जो उपभोक्ता हैं बिजली के, शहर या ग्रामीण क्षेत्र के उनको क्या संदेश देना चाहेंगे।

दूबे – उपभोक्ताओं को समझना चाहिये कि बिजली की दर कम से कम 10 रुपये प्रति यूनिट हो जायेगी। सब्सिडी समाप्त कर दी जायेगी। उपभोक्ताओं से यही अपील है कि वे इस बिजली संशोधन विधेयक जो कि एक डरावना विधेयक है और जो उपभोक्ताओं के हितों के विरोध में है, इसके खिलाफ़ लड़ाई लड़ रहे 15 लाख बिजली कर्मचारियों का आम जनता सहयोग करे।

मएल : शुक्रिया, हम उम्मीद करते हैं कि आपका संघर्ष सफल हो। धन्यवाद।

श्री अभिमन्यु धनखड़

मज़दूर एकता लहर (मएल) : बिजली संशोधन विधेयक से निजी कंपनियों को कैसे फ़ायदा होगा?

अभिमन्यु धनखड़ : स्पष्ट तौर पर इसमें सेक्शन 24ए, 24बी, 24सी और 24डी डाल दिया गया है। ऊर्जा राज्यमंत्री श्री आर.के. सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम बिजली वितरण का डी–लायसेंसिंग करेंगे। यानी कि जो बिजली बेचने वाले होंगे उनको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि आज़ादी के बाद से बिजली वितरण के लिये जो नेटवर्क लाखों करोड़ रुपए से बनाया गया है, उसे पिछले 75 सालों में जनता द्वारा दिये गये कर के पैसों से बनाया गया है, उस नेटवर्क का प्रयोग निजी कंपनियां बिजली बेचने के लिए करेंगी। नया नेटवर्क खड़ा करने की उनकी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

बिजली उपभोक्ता को वितरक या आपूर्तिकर्ता चुनने का विकल्प देने वाली जो बात कही जा रही है वह बिल्कुल झूठी, आधारहीन और बकवास है। वितरक या आपूर्तिकर्ता चुनने का विकल्प तब मिले न जब एक गली में दो अलग–अलग कंपनियों के खंभों की लाइनें खड़ी हों। एक हमारी हो और दूसरी निजी कंपनी की हो। तब प्रतिस्पर्धा होती है। हमारे प्रतिद्वंदी को खुली छूट दे दी गई है कि उसे कुछ भी निवेश नहीं करना है। उसके लिये तो "नो पेन ओनली गेन" (बिना निवेश लाभ ही लाभ) है।

मएल : एक बार जब यह कानून बन जाएगा तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर होगा?

अभिमन्यु : आपका सवाल बहुत अच्छा है। जो निजी कंपनियां आती हैं, वे व्यापार के लिए आती हैं, वे घाटा उठाने के लिए तो नहीं आतीं। आज ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी जो समस्या है, जिसे सरकार खुद कहती है – कि कोरोना के दौरान 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को पी.डी.एस. के माध्यम से अनाज देकर देकर उनका जीवन चलाना पड़ा है। हमारे देश में किसी घर तक बिजली पहुंचाने का जो वास्तविक खर्च पड़ता है उस खर्च का भुगतान देश का मज़दूर, वंचित और शोषित वर्ग, ग़रीबी रेखा के नीचे के लोग, आदि नहीं कर सकते। उसके लिये बिजली अधिनियम 2003 में क्रोस सब्सिडी का प्रावधान है। क्रोस सब्सिडी का मतलब है कि अगर एक कंपनी को बिजली की क़ीमत 6 रुपये प्रति यूनिट चुकानी पड़ती है तो वह कंपनियों या उद्योगों को 7 रुपये में बेचती है और 50 यूनिट प्रति माह वालों को 2 रुपये में बेचती है, 100 यूनिट प्रति माह वालों को 4 रुपये में बेचती है। इस प्रकार अमीर आदमी से थोड़ा सा ज्यादा पैसा लेकर वह ग़रीब लोगों में बिजली पहुंचाती है।

हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री, आर.के. सिंह जी ने कहा है कि हम क्रोस सब्सिडी को 20 प्रतिशत तक सीमित कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर हमें बिजली 6 रुपये में पड़ रही है तो अमीर आदमी को हम 7 रुपये में देंगे, जबकि ग़रीब को हम 5 रुपये से कम में नहीं दे सकेंगे। तो जिन्हें आज बिजली एक या डेढ़ रुपये में मिल रही है उसका मूल्य सीधे 5 से 6 रुपये हो जायेगा। इसका मतलब है कि बिजली पाने का जो अधिकार है वह उनके हाथ से निकल जायेगा। उनको बिजली नहीं मिलेगी। बिजली एक विलासिता की चीज बन जायेगी।

उदाहरण के लिये 2–4 साल पहले पेट्रोल और डीज़ल के (डी–कंट्रोल) सरकार के नियंत्रण से बाहर कर दिया गया था। जब तक सरकार का नियंत्रण था, तब तक इसकी क़ीमतें इतनी बेतहाशा नहीं बढ़ीं, जितनी कि सरकार के नियंत्रण से बाहर होने से बढ़ी हैं। अब आप डी–कंट्रोल को डी–लायसेंसिंग से जोड़िये। ये सीधा–सीधा 7 लाख करोड़ रुपये का बिजली वितरण का व्यापार है, जिस पर इन पूंजीपतियों की निगाहें हैं। वे इसको बिना किसी निवेश के अपना करना चाहते हैं।

इस विधेयक में ऐसे–ऐसे प्रावधान हैं कि अगर आप इनको विस्तार से देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये किस प्रकार के प्रावधान हैं। पूरे प्रांत में स्टेट डिस्कॉमों के जितने भी यंत्र–तंत्र हैं, उन्हें एक रुपये प्रति महीने के किराये पर निजी कंपनियों को देने के प्रावधान इन दस्तावेज़ों में हैं। ये प्रावधान वैसे ही हैं जैसे कि रेल–भेल–तेल कंपनियों को बेचा जा रहा है, मुद्रीकरण (मोनेटाइजेशन) के नाम पर।

माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि "सरकार का धंधा व्यापार करना नहीं है"। पर हम बिजली कर्मचारी कहते हैं कि यह व्यापार नहीं है, यह सेवा है। बिजली सेवा का विषय है, व्यापार का नहीं।

अगर आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप इसे बिजली के कारण ले पा रहे हैं। आपके फोन की जो बैटरी है वह बिजली से चार्ज की गयी है। आप इसे अगर आगे ले जाते हैं तो देखेंगे कि बिजली का कितना महत्व है। कोरोना काल में बिजली सुनिश्चित रखने के लिये, लगभग 1,000 से अधिक बिजली कर्मचारियों ने अपनी जानें गंवाईं

शेष पृष्ठ 5 पर

किसानों ने देशभर में रैलियां आयोजित कीं

पृष्ठ 1 का शेष

साइकिलों का एक विशाल काफिला सरकार को यह बताने के लिए सड़कों पर उतर आया कि हम अधूरी आज़ादी से संतुष्ट नहीं हैं।"

इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए, गुरबचन सिंह चब्बा ने कहा, "देश की सत्तारूढ़ सरकार 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है, लेकिन यह अधूरी आज़ादी है। 1947 के बाद भी, देश का मज़दूर वर्ग और किसान, पूरी आज़ादी के लिए आज तक संघर्ष करते आये हैं।" केंद्र सरकार के किसान–विरोधी और जन–विरोधी रुख़ की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि "जबकि देश के मेहनतकश किसान लगातार आठ महीने से दिल्ली की सरहदों पर संघर्ष कर रहे हैं, जहां लगभग 600 लोग इस संघर्ष में शहीद हुए हैं, केंद्र सरकार देश के सार्वजनिक और आर्थिक संसाधन कॉरपोरेट घरानों को देने पर अड़ी हुई है"।

भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्रहां) ने दिल्ली की सरहद, पकौड़ा चौक पर एक मेगा रैली आयोजित की। भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्रहां) के अध्यक्ष, श्री जोगिंदर सिंह उग्रहां ने इस मेगा रैली को संबोधित किया। पंजाब के शहरों और सैकड़ों गांवों में भी 15 अगस्त को किसान–मज़दूर मुक्ति–संघर्ष दिवस के रूप में मनाया गया। इन सभाओं में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया।

सभाओं में वक्ताओं ने इस हक़ीक़त पर विस्तार से बात की कि 1947 में कांग्रेस के नेताओं ने हमारे लोगों की आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया था, वास्तविक राष्ट्रीय मुक्ति के लिए अंग्रेजों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने और मज़दूरों और किसानों को सत्ता में लाने

किसान मज़दूर संघर्ष समिति द्वारा वाघा बार्डर से एक मोटर साइकिल रैली का आयोजन

के उद्देश्य के लिए लड़ रहे देशवासियों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने भी इसी क्रांतिकारी मार्ग की हिमायत की थी। लेकिन कांग्रेस के शासकों ने, केवल ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की जगह ले ली। किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैठकों में विस्तार से बताया कि कैसे औपनिवेशिक व्यवस्था का पूरा ताना–बाना बरकरार रहा – साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट, कॉर्पोरेट घरानों द्वारा मज़दूरों का शोषण, बेरोज़गारी, फूट डालो और राज करो की राज्य–नीति और सांप्रदायिक हिंसा और जातिगत भेदभाव आयोजित करने की साज़िशें, सभी प्रकार के मतभेदों और असहमतियों का क्रूर दमन आदि, अभी तक लगातार जारी हैं। उन्होंने समझाया कि यही कारण है कि राज्य द्वारा किये जा रहे इस तरह के दमन और अपने अधिकारों का उल्लंघन आज हम देख रहे हैं।

किसान–विरोधी कानूनों का विरोध करते हुए वक्ताओं ने किसानों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कई उदाहरण पेश किये कि कैसे निजीकरण के द्वारा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन और रोज़गार के क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया कि कैसे बैंक ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए किसानों को गुलाम बनाया गया था। उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न और उनके साथ किये जाने वाले भेदभाव की निंदा की।

वक्ताओं ने, बड़े कारपोरेट घरानों की तिजोरी भरने के लिए लोगों की संपत्ति की लूट की कड़ी निंदा की। उन्होंने श्रम संहिता संशोधन, पेंशन योजना संशोधन आदि कानूनों द्वारा किये जाने वाले, मज़दूरों के अत्यधिक शोषण और उनके अधिकारों के उल्लंघन की निंदा की। उन्होंने व्यापार का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार और भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण, कृषि आदानों के लिए सस्ता बैंक ऋण, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार, बेरोज़गारी भत्ता की मांग की। उन्होंने जाति और सांप्रदायिक हिंसा, महिलाओं पर हिंसा और लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने की क्रूर कोशिशों की निंदा की।

सबसे बड़े कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में सरकार की नीतियों को चुनौती देने के लिए, टोल प्लाजा और सौर–संयंत्रों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। अडानी सेलो डगरू (मोगा), अडानी सोलर पावर प्लांट सरदारगढ़ (बठिंडा) और टोल प्लाजा कालाझार (संगरूर) में हजारों महिलाएं और युवा इकट्ठे हुए। किसान आंदोलन के समर्थन में, ठेका कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनभोगी, बेरोज़गार युवा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, मनरेगा कार्यकर्ता, बिजली कर्मचारी, जलापूर्ति कार्यकर्ता और अन्य उत्पीड़ित वर्ग के लोग भी इन विरोध सभाओं में शामिल हुए।

http://hindi.cgpi.org/21258

अभिमन्यु धनखड़ से साक्षात्कार

पृष्ठ 4 का शेष

हैं। बिजली कर्मचारियों ने निर्विवाद बिजली आपूर्ती को सुनिश्चित किया है। क्या किसी भी न्यूज़ चैनल में ये ख़बर आयी है कि फलां अस्पताल में बिजली न मिलने की वजह से लोग मारे गये? ये ख़बरें ज़रूर आयी हैं कि ऑक्सीजन ख़त्म होने से लोग मारे गये हैं। लेकिन बिजली की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है। सरकार बिजली कर्मचारियों की मेहनत का तोहफ़ा आज इनके अधिकारों को छीन कर देना चाहती है। हम इसका विरोध करते हैं।

मएल : सरकार कह रही है कि यह विधेयक आयेगा तो उससे बिजली क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी होगी है और बिजली कर्मचारी नाहक इसका विरोध कर रहे हैं। इस प्रचार का आप क्या जवाब देंगे?

अभिमन्यु : बढ़ोतरी ज़रूर होगी। बढ़ोतरी होगी पूंजीपतियों के कुल संपत्ति में। देश का लाखों करोड़ों रुपयों का बिजली वितरण का जो बुनियादी ढांचा है, उसका अगले पांच से सात सालों में सीधा–सीधा हस्तांतरण बिजली क्षेत्र के बड़े–बड़े निजी घरानों को हो जायेगा। वह भी उनका पैसा खर्च हुये बगैर। पूछिये ये कैसे?

जैसा कि मैंने क्रोस सब्सिडी के संदर्भ में कहा, बिजली के अलग–अलग प्रकार के उपभोक्ता होते हैं – कुछ औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिल महीने में 50 लाख के भी होते हैं, जबकि ग़रीब उपभोक्ताओं के बिल मात्र 200 रुपये के होते होंगे। निजीकरण के बाद बिजली घराने बड़े उपभोक्ता को कनेक्शन देंगे पर वे 200 रुपये वाले को मीटर कनेक्शन नहीं देंगे। उनके पास अपना उपभोक्ता चुनने का विकल्प है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सरकारी कंपनी होने के नाते हमें सभी को कनेक्शन देने होते हैं, चाहे कोई अडानी की कंपनी मांगे या कोई ग़रीब मांगे। हमें दोनों को कनेक्शन देने होते हैं। पर जो निजी कंपनी बिजली वितरण में है, उसको यह छूट है कि वह किसको कनेक्शन देगी और किसको नहीं। निश्चित तौर पर वे बड़े उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देंगे। इसका नतीजा होगा कि धीरे–धीरे सारे बड़े कनेक्शन निजी वितरण कंपनियों के पास चले जायेंगे।

जिस प्रकार टेलीकॉम सेक्टर में भी हुआ। रिलायंस की जियो कंपनी ने बी.एस.एन.एल. जैसी सरकारी कंपनी को तो छोड़िये, वोडाफोन और आइडिया जैसी निजी कंपनियों को भी विलय करने के लिये मजबूर कर दिया क्योंकि उन्होंने एक साल के लिये इंटरनेट फ्री कर डाला। इसी तरह कोई बड़ा पूंजीपति घराना बैंकों से लोन लेकर या सब्सिडियों का इस्तेमाल करके, इस तरह की कोई स्कीम चालू कर देगा। अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिये शुरू में बिजली की दर 20 पैसे, 50 पैसे कम रख सकता है। हमारे जो बड़े उपभोक्ता हैं वे उसमें ट्रांसीशन कर जायेंगे। जो अभी तक सार्वजनिक एकाधिकार था वह निजी एकाधिकार में तब्दील हो जायेगा। सार्वजनिक एकाधिकार का तो फिर भी सामाजिक सरोकार है, परन्तु निजी एकाधिकारियों का समाज को क्या फ़ायदा?

आप अस्पतालों को ही देख लीजिये। सरकारी अस्पतालों में सभी लोगों के लिये इलाज संभव है पर जो निजी अस्पताल हैं, क्या ग़रीब आदमी उसमें जा सकता है? तो निजी एकाधिकार लोकतंत्र के लिये ख़तरा है। जो बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं क्या वे अतिरिक्त निवेश की बात कर रहे हैं? 2003 में भी उन्होंने निवेश की बात की थी। बिजली अधिनियम 2003 में उन्होंने कहा था कि बिजली क्षेत्र के सुधारों से नया निवेश आयेगा। क्या आने वाले निवेश से बिजली की दरें कम हुईं?

आज के दिन 47 प्रतिशत बिजली उत्पादन निजी घरानों के हाथों में है और बाकी 53 प्रतिशत राज्य व केन्द्र सरकारों के पास है। लेकिन बिजली की दरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि उन निजी घरानों ने महंगे दामों पर 25–25 साल के पावर परचेज़ एग्रीमेंट (पी.पी.ए. – बिजली ख़रीद करार) किये हुए हैं। अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो उसे इन करारों पर आज की परिस्थिति के अनुसार पुनः समझौता करना चाहिये। आप हैरान होंगे। आज बिजली बाज़ार में बिजली ढाई रुपये प्रति यूनिट भी उपलब्ध है परन्तु बिजली उत्पादन कंपनियों ने 15–15 रुपये प्रति यूनिट तक के करार किये हुए हैं। तो जनता का पैसा कहां जा रहा है? अगर बिजली कंपनी बिजली खरीदेगी तो उपभोक्ता से ही पैसा लेगी।

वास्तव में सरकार को दो काम करना चाहिये। एक कि बिजली को एक मूलभूत अधिकार घोषित करना चाहिये। और दूसरा कि जितने भी पी.पी.ए. हैं, जिनकी समय सीमा बाकी है और जो वास्तविकता से परे हैं, उन पर फिर से समझौता करना चाहिये ताकि जनता को सस्ती और बढ़िया बिजली सेवा मिल सके।

अगर सरकार लोगों को बढ़िया बिजली सेवा देना चाहती है तो उसको नेशनल को–आर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एण्ड इंजीनियर्स (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) सहित ऊर्जा क्षेत्र के सभी स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिये। मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर हमारी बातों में कुछ ग़लती हो या झूठ हो तो हम इस कानून का विरोध नहीं करेंगे।

मएल : इस संघर्ष को लेकर अगला पड़ाव क्या है, या आगे का क्या रूप है?

अभिमन्यु : जैसा कि हमें न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चला है कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि संसद के मानसून सत्र में बिजली संशोधन बिल 2021 पेश किया जायेगा तो एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. ने 12 जुलाई को मीटिंग की और यह संकल्प पारित किया कि यह कानून बिजली के अधिकार को छीनने वाला है और इसे हमें पारित नहीं होने देना है। इसके लिये हम संघर्ष को और तेज़ करेंगे।

हम बिजली क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में 2014 से संघर्ष करते आये हैं। 2014 से लेकर आज 2021 तक, केन्द्र सरकार का यह चौथा प्रयास है। बिजली संशोधन विधेयक 2014, 2018 और 2020 में लाया गया था। अब बिजली संशोधन विधेयक 2021 बिजली क्षेत्र का संपूर्ण निजीकरण करने का सरकार का चौथा प्रायोजन है।

हमने निर्णय लिया है कि पहले चरण में सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिये पूरे देश में 19 जुलाई को विरोध दिवस मनाया गया। उसके बाद 27 जुलाई को एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा सचिव, माननीय आलोक कुमार जी से मिला और अपना ज्ञापन सौंपा। उनसे संक्षिप्त वार्ता हुई। उसके बाद, ये जो 3, 4, 5 और 6 अगस्त का विरोध कार्यक्रम है ऊर्जा मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करने के लिये है कि वह हमारी मांगों को सुने। सारे देश के बिजली कर्मचारी इन मांगों के समर्थन में हैं और हम दिल्ली तक बात करने के लिये आये हैं। लेकिन अगर वे हमारी बात नहीं सुनेंगे, इस पर कोई कार्यवाई नहीं करेंगे या एकतरफा तरीके से संसद में पेश करने की कोशिश करेंगे तो 10 तारीख को बिजली की हड़ताल होने जा रही है जिसमें 15 लाख से अधिक बिजली कर्मचारी और अधिकारी भाग लेंगे और 12 लाख से अधिक जो संविदा कर्मचारी हैं जो ठेके पर काम करते हैं वे भी इसमें भाग लेने जा रहे हैं। और अगर सरकार उसके पहले ही इस विधेयक को संसद में धकेलने की कोशिश करती है तो उसी दिन से 10 तारीख वाला कार्यक्रम शुरू कर दिया जायेगा। और तब भी सरकार नहीं सुनती तो 10 तारीख के बाद संघर्ष के और भी कठोर निर्णय लिये जा सकते हैं।

मएल : आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम चाहते हैं कि आपका संघर्ष सफल हो।

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT. U (SE)-38/2018-20
Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Sept, 2021 Date of publish - 1 Sept, 2021

To
.....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020। email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें : ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

बिना सुविधा वाली क्रू–लाबियों पर तैनाती के ख़िलाफ़ रेल चालकों का सपरिवार प्रदर्शन

17 अगस्त, 2021 को ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) के बैनर तले, रेल चालकों और बच्चों सहित उनके परिजनों ने बिलासपुर डिविज़नल रेल मैनेजर (डी.आर.एम.) के कार्यालय के सामने धरना–प्रदर्शन किया। बिलासपुर के डी.आर.एम. ने चालकों को प्रदर्शन के लिये टेंट तक नहीं लगाने दिया। चालकों, परिजनों और बच्चों ने नारे लगाकर इसका विरोध किया। उन्हें अपने धरना–प्रदर्शन को पेड़ के नीचे करना पड़ा।

इस धरना–प्रदर्शन में रेल चालकों और उनके परिवारों की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित लगभग 400 लोगों ने भागीदारी की। रेल चालकों ने ऐसा ही धरना प्रदर्शन रायगढ़, कोरबा, शहडोल, बिजुरी, सूरजपुर एवं ब्रजराजनगर मुख्यालयों पर क्रू–लॉबी के सामने किया। वहां पर भी उनके परिवारों की सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया।

रेल चालकों का यह प्रदर्शन, रेल प्रशासन के उस आदेश के ख़िलाफ़ था जिसके तहत 60 से अधिक रनिंग कर्मचारियों की तैनाती, खोंगसरा एवं लजकुरा में बनी नई सुविधाहीन क्रू–लाबियों पर की गई है।

इस धरना–प्रदर्शन को ए.आई.एल.आर.एस.ए. के पदाधिकारियों और सदस्यों के अलावा उनके परिवारों के सदस्यों ने भी संबोधित किया। उनका कहना है कि रेल प्रशासन अपने कर्मचारियों और उनके परिजनों को परेशान

बिलासपुर डी.आर.एम. के सामने प्रदर्शन

कर रहा है। जिस दिन से यह आदेश जारी हुआ है, हम सभी चिंतित हैं। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। इस तैनाती के कारण न केवल घर का कामकाज, बल्कि पढ़ाई भी प्रभावित होगी।

ए.आई.एल.आर.एस.ए. की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, खोंगसरा में आवास, स्कूल, अस्पताल, बाज़ार, आदि कुछ भी नहीं है। कर्मचारियों को वहां किराये का मकान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह बस्ती बहुत छोटी–सी है। ऐसी जगहों पर आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के बिना केवल काग़जों में क्रू–लॉबी का निर्माण करके वहां पर तैनाती करना पूर्णतः अमानवीय है। यह रेलवे बोर्ड द्वारा, लॉबियों के निर्माण/विकास के लिए समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पूर्णतः उल्लंघन है।

खोंगसरा जंगली क्षेत्र है, जहां दूर–दूर तक कोई शहर या कस्बा नहीं है। खोंगसरा में मेल/एक्सप्रेस व लजकुरा में किसी भी सवारी गाड़ी का ठहराव नहीं है। लजकुरा से 3 किलोमीटर की दूरी पर ब्रजराजनगर लॉबी पहले से मौजूद है।

मांग की गई कि सुविधाहीन स्थानों पर अनावश्यक क्रू–लॉबी खोलना बंद किया जाये। खर्च में कटौती के नाम पर रनिंग स्टॉफ को प्रताड़ित करना बंद किया जाये। लोको रनिंग परिवार के साथ अमानवीय बर्ताव बंद किया जाये।

विदित रहे कि इससे पहले बनाए गये सूरजपुर एवं खरसियां क्रू–लॉबी पर भी अनेक आश्वासनों के बावजूद अभी तक मूलभूत संरचनाओं का निर्माण नहीं किया गया है। सूरजपुर में तो कर्मचारियों को रनिंग रूम की जगह कंटेनर डिब्बों में सुलाया जा रहा है। इस विषय को लेकर मंडल एवं जोन के सभी संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देकर चर्चा की जा चुकी है, लेकिन उनका रवैया निराशाजनक है।

प्रदर्शनकारियों ने रेल प्रशासन को यह चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। इस समस्या के समग्र समाधान होने तक रनिंग कर्मचारियों का यह आन्दोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के अंत में मंडल रेल प्रबंधक से मुलाक़ात करके समस्या के निवारण हेतु ज्ञापन सौंपा गया।

http://hindi.cgpi.org/21245

अनारा एच.क्यू. में विरोध सभा

रायगढ़ एच.क्यू. में प्रदर्शन

बिजूरी एच.क्यू. लॉबी में विरोध सभा

पंजाब में गन्ना किसानों का आंदोलन

पृष्ठ 3 का शेष

एम.के.एस.सी. के अध्यक्ष बलविंदर सिंह राजू ने मीडिया से कहा कि "व्यास नदी माझा और दोआबा के बीच बहती है। उस क्षेत्र में गन्ने के अलावा कोई अन्य फ़सल नहीं उगती। हर साल वहां बाढ़ आती है। सरकारें हमें बाढ़ के लिए पर्याप्त मुआवज़ा नहीं देतीं। हम विविधता लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) नहीं है। मक्के का एम.एस.पी. 1,800 रुपये है, लेकिन यह महज 800–900 रुपये में बिकता है। मूंग का एम.एस.पी. 7,500 रुपये है, लेकिन व्यापारी केवल 4,000 रुपये देते हैं। दाल एम.एस.पी. पर बिकती ही नहीं है। वे सब कुछ कॉर्पोरेटों को देना चाहते हैं। यह शर्मनाक है कि वे गन्ने के लिए भी एस.ए.पी. का भुगतान नहीं करते हैं। जिस मूल्य की मांग हम कर रहे हैं, वह हरियाणा के बराबर है जहां गन्ने का दाम कम से कम 363 रुपये से 383 रुपये प्रति क्विंटल है। फिलहाल 310 रुपये के एस.ए.पी. मिलने से हमें 50–70 रुपये का नुकसान हो रहा है। 2017 में हमने मनप्रीत बादल के साथ बैठक की थी और उन्होंने उस साल 10 रुपये और हर साल नियमित बढ़ोतरी का वादा किया था। लेकिन अब वे कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं।"

महिलाओं ने विरोधकर्ताओं के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पूरा इंतजाम करते हुये, बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। अपने आंदोलन को लंबे समय तक चलाने की तैयारी कर रहे प्रदर्शनकारी गन्ना किसानों ने विरोध स्थल पर टेंट और शौचालय बना लिए हैं। वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती।

आस–पास के क्षेत्रों के लोग भोजन, पानी, तंबू आदि की आपूर्ति कर रहे हैं और तहे दिल से आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने रक्षाबंधन के दिन रास्ते खोल दिए, ताकि लोग त्योहार के अवसर पर आ–जा सकें।

राज्य सरकार और गन्ना किसानों के बीच 22 अगस्त को वार्ता हुई लेकिन इससे किसानों की मांगों का कोई समाधान नहीं निकला। आंदोलनकारी गन्ना किसान यूनियनों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प किया है और घोषणा की है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक हाईवे और रेल नाकाबंदी जारी रहेगी।

http://hindi.cgpi.org/21270

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें। भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810187911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com